न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/407/2018

उनवान

1. अरविन्द सिंह पुत्र गिरिराज सिंह राजपूत निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा
2. कुलदीप सिंह पुत्र गिरिराज सिंह राजपूत निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा
3. ममता कंवर पत्नि गिरिराज सिंह राजपूत निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. ललिता सखी पुत्री मदनसिंह पत्नि बलीराम पंवार राजपूत निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा
2. देवदर्शन बाला पुत्री मदनसिंह पत्नि सुरेश पंवार निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा
3. दीपमाला पुत्री मदनसिंह राजपूत निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा
4. अजय पुत्र कल्याणसिंह माता श्रीमती दमयन्ती निवासी–179 सुभाषनगर भीलवाडा
5. स्वाति पुत्री कल्याणसिंह माता श्रीमती दमयन्ती निवासी–आगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा
6. मीनाक्षी पुत्री कल्याणसिंह माता श्रीमती दमयन्ती निवासी–आगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा
7. अमित देव पिता बालमुकन्द माता श्रीमती कमला देवी पंवार निवासी–सी–179 सुभाषनगर भीलवाडा
8. पुष्पराज सिंह पिता राजेन्द्रसिंह माता श्रीमती पुष्पादेवी पंवार निवासी–कालिका पथवारी के पीछे, सुभाषनगर भीलवाडा
9. राजश्री पुत्री राजेन्द्रसिंह माता श्रीमती पुष्पादेवी पंवार निवासी–सुभाषनगर भीलवाडा
10. गिरिराजसिंह पुत्र मदनसिंह राजपूत निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. मदनसिंह पुत्र बहादुर सिंह राजपूत निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा (मृत्यु होने से आदेश दि0 24.5.19 से नाम हटाया)
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरड़ा जिला भीलवाडा
13. उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय हुरड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 2449 / 2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्रीमती निर्मला जैन, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री रामदयाल जाट अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या1व 2
3. श्री दिनेश तिवाड़ी अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 4 व 7
4. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.09.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 / वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

मदन सिंह पिता बहादुर सिंह राजपूत

कमला (पुत्री) फौत अमितदेव	पुष्पा (पुत्री) फौत पुष्पराज व राजश्री	गिरीराज (पुत्र) ——— ममता (पत्नि)	दमयन्ती (पुत्री)	देवदर्शन (पुत्री) अरविन्द (पुत्र)	ललिता (पुत्री) कुलदीप (पुत्र)	दीपमाला (पुत्री)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. वादीगण के द्वारा वाद में अंकित किया कि ग्राम हुरड़ा मगरा तहसील हुरड़ा में खतौनी संख्या 446 में आराजी नम्बर 1623 रकबा 51 बीघा 03 बिस्वा व आ0नं0 1643 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा कुल कीता 2 कुल रकबा 78 बीघा 13 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 4 के नाम दर्ज है। उक्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी होकर वादीगण के दादा बहादुर सिंह पुत्र रामनाथ सिंह के जमाने की होकर विभाजन व विरासत से प्रतिवादी संख्या 01 के हक हिस्से में आयी। उक्त आराजीयात में वाद की चरण संख्या 01 में वर्णित पारिवारिक सजरे के अनुसार वादीगण का 2/8 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का 1/8 हिस्सा निहित है व इसी हक हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौकेपर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

3. वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की पैतृक होने से वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है व वादीगण अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी सं0 1 जो वादीगण के पिता हैं जो आयु में 90 वर्ष के वृद्ध होकर उनकी मानसिंक स्थिति भी ठीक नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 4 जो कि प्रतिवादी संख्या 01 की पुत्रवधु व पौत्र है व प्रतिवादी संख्या 05 पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 05 ने प्रतिवादी संख्या 01 को अपने कब्जे में कर रखा है वादीगण को भी उनसे मिलने नहीं देते हैं, वादीगण द्वारा मिलने जाने पर गाली गलौच व लड़ाई झगड़ा करते हैं। दिनांक 10.09.2017 को प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 वादग्रस्त आराजीयात पर आये व वादीगण को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा कि उक्त आराजीयात वादीगण की पैतृक होकर वादीगण का जन्म

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

से हक हिस्सा निहित है इस पर प्रतिवादीगण ने कहा कि वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हैव प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 01 को दबाव एवं प्रभाव में लेकर उनसे उक्त आराजीयात की रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 04 जो कि प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र वधु व पौत्र है जिनके नाम करवाली है इस कारण से वादीगण को बेदखल करके ही रहेगें व आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय हस्तान्तरण/खुर्द बुर्द करके ही रहेगें। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है। इस पर वादीगण ने राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त की तो जानकारी हुई की वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 की जायन्दा पुत्रियां है जिनका जन्म से अधिकार है।

4. वादोक्त आराजीयात वादी की पैतृक है जिसमें वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 04 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को दबाव एवं प्रभाव में लेकर दिनांक 04.05.2017 को वादोक्त आराजीयात का विक्रयपत्र अपने पक्ष में पंजीयन करा लिया जो कि वादीगण को उनकी भूमि से वंचित करने की नियत से दिखावटी तौर पर बिना प्रतिफल के पंजीयन कराये है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 का केवल मात्र 1/8 हिस्सा ही है। प्रतिवादी सं0 1 को सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने का अधिकार भी नहीं था। इस प्रकार दिनांक 04.05.2017 को कराये गये विक्रय पत्र वादीगण के मुकाबले नल एण्ड वोईड (अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी) होकर वादीगण राजस्व रेकार्ड में अपना 2/8 हिस्से की भूमि को नाम पर दर्ज करवाने खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। तद्नुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादीर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

5. बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादीर फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण को वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ग्राम हुरड़ा के खतौनी संख्या 446 में दर्ज आराजी नम्बर 1623, 1643 कीता 2 रकबा 78 बीघा 13 बिस्वा भूमि में जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करें और नहीं किसी अन्य से करावें तथा वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावें।

6. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

8. बहस में वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को कैम्प कोर्ट हुरड़ा दिनांक 18.06.2018 को पेश कर बिना हम अपीलार्थीगण के जवाब लिए तथा बिना सुने एवं मृत प्रतिवादी संख्या 06 के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने भूमि को पुश्तैनी बताकर वाद प्रस्तुत किया परन्तु पुश्तैनी होने का सबूत पेश नहीं किया। भूमि प्रतिवादी मदनसिंह के नाम पर बटवाड़े से आई और उनके द्वारा भूमि हम अपीलाण्ट्स को विक्रय की जो मदनसिंह की स्वअर्जित होने से पंजीबद्ध दस्तावेज से विक्रय की गई जो सही है। हम अपीलाण्ट्स को कैम्प कोर्ट में सुना नहीं गया एवं मृतक के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भैरूसिंह के बडे भाई होने का भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। रजिस्ट्री गलत थी तो उसे निरस्ती हेतु किसी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/प्रत्यर्थी सं0 1 से लगायत 9 को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदार काश्तकार घोषित किया है उस निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जावे।

9. बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने निवेदन किया कि सजरा केवल मदनसिंह पिता बहादुरसिंह का दिया है जबकि इन्हीं आराजीयात के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के समक्ष अपीलाण्ट्स ने खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसमें आराजीयात को मदनसिंह पिता बहादुरसिंह की पुश्तैनी होना बताया और अब इसे स्वअर्जित बता रहे हैं। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पैतृक होने सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी सं0 1 मदनसिंह से पूर्व बहादुरसिंह फौत होने से दादा की मृत्यु के पश्चात सीधा खाता मदनसिंह पिता बहादुर सिंह के नाम दर्ज किया परन्तु बहादुरसिंह का कोई सजरा प्रस्तुत नहीं किया है तथा बहादुर सिंह का वादोक्त आराजीयात में किस प्रकार से हक हिस्सा था कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है केवल मात्र नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक 13.02.1959 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें भूप्रबन्ध विभाग द्वारा गलत नाम दर्ज किए जाने से स्व0 मदनसिंह द्वारा इसका फायदा उठा कर भूमि को अपने पुत्रवधु व पौत्रों को विक्रय कर दी जबकि उनकी बेटियां भी थी। जिनका भी इन आराजीयात में बराबर का हक है फिर भी मदनसिंह के द्वारा अपीलाण्ट्स के नाम पर क्यों कर सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने की आवश्यता महसूस हुई। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

10. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत था परन्तु बिना जवाब लिए प्रकरण को लोक अदालत कैम्प कोर्ट हुरड़ा पर प्रस्तुत कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उभयपक्ष के अधिवक्ता बहस हेतु सहमति व्यक्त किए जाने से बहस सुनी जबकि अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई सहमति व उपस्थिति कैम्प कोर्ट में नहीं दी फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित की जो खारिज योग्य है। अपीलार्थी के उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.11.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु आगामी दिनांक 18.12.2017 नियत की गई। प्रकरण में दिनांक 19.02.2018 को प्रतिवादी संख्या 2 से 4 /अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता निर्मला जैन के द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की ओर से अधिवक्ता दिनेश तिवाड़ी ने, प्रतिवादी संख्या 1 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह पालड़ेचा के द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 6,9 10 की तलबी हेतु पुनः सम्मन तलवाना प्रस्तुत करने एव प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 7,8 व 11,12 के जवाब हेतु आगामी तारीख 02.04.2018 नियत की गई। दिनांक 02.04.2018 को पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त रहने से आगामी तारीख 02.07.2018 नियत की गई। प्रकरण में दिनांक 18.06. 2018 की आदेशिका अनुसार पत्रावली कैम्प कोर्ट हुरड़ा पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित । अन्तिम बहस पर सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाने की आदेशिका अंकित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर निस्तारण कर दिया जो विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

11. पत्रावली में अंकित आदेशिकाओं से यह स्पष्ट है कि प्रकरण प्रतिवादी संख्या 6,9,10 की तलबी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 7,8 व 11,12 के जवाब में नियत थी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रकरण की सुनवाई कैम्प कोर्ट में किए जाने हेतु पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण दिनांक 18. 06.2018 के कोई सूचना पत्र जारी होना प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में जवाब एवं तलबी हेतु

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 02.07.2018 नियत होते हुए प्रकरण दिनांक 18.06.2018 को ही कैम्प कोर्ट में निस्तारित किया परन्तु प्रकरण को नियत तारीख से पूर्व 18.06.2018 को कैम्प कोर्ट में रखने के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई आदेशिका संधारित नहीं की जाना प्रकट होता है। यहां तक अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 18.06.2018 की आदेशिका पर किसी भी पक्षकार एवं अधिवक्ता के सहमति या उपस्थिति के कोई हस्ताक्षर नहीं होते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2018 की आदेशिका में अंकित कर दिया कि उभयपक्ष के अधिवक्ता अंतिम बहस हेतु सहमत है जो किसी भी तरह से विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

12. अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की पूर्ण पालना किए बिना ही प्रकरण में सुनवाई करते हुए निर्णय पारित किया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज किए जाने योग्य प्रतीत होता है।

13. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 को निरस्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे एवं जवाब एवं दस्तावेज रेकार्ड पर लेकर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 07-11-19 को उपस्थित रहें। पर्चा डिक्री जारी हो।

14. निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/407/2018

उनवान

1. अरविन्द सिंह पुत्र गिरिराज सिंह राजपूत निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा
2. कुलदीप सिंह पुत्र गिरिराज सिंह राजपूत निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा
3. ममता कंवर पत्नि गिरिराज सिंह राजपूत निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. ललिता सखी पुत्री मदनसिंह पत्नि बलीराम पंवार राजपूत निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा
2. देवदर्शन बाला पुत्री मदनसिंह पत्नि सुरेश पंवार निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा
3. दीपमाला पुत्री मदनसिंह राजपूत निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा
4. अजय पुत्र कल्याणसिंह माता श्रीमती दमयन्ती निवासी–179 सुभाषनगर भीलवाडा
5. स्वाति पुत्री कल्याणसिंह माता श्रीमती दमयन्ती निवासी–आगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा
6. मीनाक्षी पुत्री कल्याणसिंह माता श्रीमती दमयन्ती निवासी–आगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा
7. अमित देव पिता बालमुकन्द माता श्रीमती कमला देवी पंवार निवासी–सी–179 सुभाषनगर भीलवाडा
8. पुष्पराज सिंह पिता राजेन्द्रसिंह माता श्रीमती पुष्पादेवी पंवार निवासी–कालिका पथवारी के पीछे, सुभाषनगर भीलवाडा
9. राजश्री पुत्री राजेन्द्रसिंह माता श्रीमती पुष्पादेवी पंवार निवासी–सुभाषनगर भीलवाडा
10. गिरिराजसिंह पुत्र मदनसिंह राजपूत निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. मदनसिंह पुत्र बहादुर सिंह राजपूत निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा (मृत्यु होने से आदेश दि0 24.5.19 से नाम हटाया)
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरड़ा जिला भीलवाडा
13. उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय हुरड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 2449/2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018
अधिवक्तागण :—

1. श्रीमती निर्मला जैन अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री रामलाल जाट अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1व 2
3. श्री दिनेश तिवाड़ी अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 4से 7
4. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिक्री

(आदेष 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/63/2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 27.09..2019 को अपीलाण्ट्स की ओर से श्रीमती निर्मला जैन प्रत्थर्थी संख्या 1 व 2 के वकील श्री रामलाल जाट व प्रत्यर्थी संख्या 4 से 7 के अधिवक्ता श्री दिनेश तिवाड़ी एवं प्रत्यर्थी संख्या 12 की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 27.09..2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :—

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2018 को खारिज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 27.09..2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

27/9/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस